झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–581 वर्ष 2017

दुष्यंत रॉय, पे0–स्वर्गीय टोडी रॉय, निवासी ग्राम–कर्मतार, डाकधर–तारानाको, थाना–धनसार, जिला–राँची .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य
2.. सचिव, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विभाग, टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विभाग, टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची
4. उपायुक्त, गिरिडीह, डाकघर, थाना एवं जिला–गिरिडीह
5. जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह, डाकघर, थाना एवं जिला–गिरिडीह
6. अमित महतो, पे0–स्वर्गीय मेघर महतो, निवासी ग्राम–ब्लाहरा, डाकघर–तरंको, थाना–धनसार, जिला–गिरिडीह

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री एस0के0 पांडे, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– श्री जी0पी0–IV का जे0सी0

04 / दिनांकः12 अप्रैल, 2018

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्होनें 40,748 रूपये की राशि का दावा किया है जो उन्होनें स्कूल भवन के निर्माण के संबंध में खर्च किया है जबकि वह सेवा में

थे। उन्होनें कहा कि राशि का भुगतान संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया गया था, लेकिन यह प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा ले लिया गया है, जिसके लिए उक्त राशि को वापस करने के लिए प्रतिवादी संख्या 6 को एक उचित निर्देश दी जानी चाहिए और बदले में, उस राशि को याचिकाकर्ता को दे दिया जाना चाहिए।

रिकॉर्ड को देखने के बाद, मैनें पाया कि याचिकाकर्ता और निजी प्रतिवादी संख्या 6 के बीच विवाद है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा तय नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, इस रिट एप्लिकेशन को खारिज कर दिया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)